कार्यालय प्रभारी अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति,2014
जिला एवं सैशन न्यायालय, झालावाड़ (राजस्थान)–326001

Tel. No. 07432-232405(o), Website- http://ecourts.gov.in/jhalawar

क्रमांक : स्था. / 2014 /   दिनांक :

विज्ञप्ति

झालावाड़ न्यायक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वर्तमान में रिक्त चल रहे 29 अस्थाई पदों पर राजस्थान सिविल सेवाए (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत रनिंग पे–बैण्ड– PB-1 5200 - 20200 + ग्रेड पे – 1700 /– रुपये प्रतिमाह में उक्त नियमों के नियम 21 व संशोधित आदेश संख्या F-14(1) FD (Rules)/2013-II, Jaipur Dated: 28-06-2013 के तहत परिवीक्षा अवधि में 2 वर्ष तक देय समेकित वेतन 5400 /– रुपये प्रतिमाह पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के अन्तर्गत भर्ती / नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दी गई शर्तों व नियमों के अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं। जिनका वर्गानुसार विवरण निम्न प्रकार है :–

पद का नाम	रिक्तियों की संख्या				योग
	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	7	2	7	29

महिला व अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा। ये रिक्तियां पूर्णतया अस्थाई हैं। इनकी संख्या प्रशासनिक कारणों से घटाई या बढ़ाई जा सकती है। दो वर्ष की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही कार्यकाल आगे बढ़ाया जायेगा एवं नियमित वेतन श्रृंखता में वेतन देय होगा।

(1) आयु

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति / जनजाति / ओबीसी / महिला आदि वर्ग को आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी। इस हेतु संबंधित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(2) शैक्षणिक योग्यता :–

उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से कम से कम पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिये।

(3) शारीरिक योग्यता :–

आवेदक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) पेंशन योजना एवं स्थाई परितोषण :–

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15 (7) एफ.डी. (रूल्स) / 97 दिनांक 14.01.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12 (8) एफ.डी. (रूल्स) / 05 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत, नियुक्ति योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेंडेन्ट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सम्बन्धी सभी नये नियम लागू होंगे।

(5) राष्ट्रीयता

आवेदक भारत का नागरिक हो, या नेपाल या भूटान का प्रजाजन हो अथवा उक्त नियमों के नियम–11 के अनुसार भारत का नागरिक होने हेतु अर्हता प्राप्त हो।

(6) पात्रता एवं चरित्र :–

आवेदक को दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो आवेदक के रिश्तेदार न हो एवं 06 माह से अधिक पुराने नहीं हो भी आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आवेदन के साथ जाति प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(7) आवेदन की अन्तिम तिथि :–

आवेदन – पत्र दिनांक 07.08.2014 को सांयकाल 05:00 बजे तक इस कार्यालय में व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा प्राप्त हो जाना चाहिये। उपरोक्त अन्तिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें निरस्त कर फाईल कर दिया जायेगा।

(8) संतान सम्बन्धी सूचना

राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 10 (3)/कार्मिक/क–2/75/पार्ट – II दिनांक 29.10.04 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पृष्ठांकन संख्या सामान्य/19/मिस./1245/2004/1816 दिनांक 30.11.2004 के अनुसार दिनांक 01.06.02 या उसके पश्चात् दो या अधिक बच्चे हो, ऐसे आवेदक उक्त पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अतः समस्त विवाहित स्त्री/पुरुष इस आशय का घोषणा–पत्र संलग्न प्रारूप में प्रार्थना–पत्र के संलग्न करें कि उनके दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

घोषणा – पत्र

मैं......... पुत्र/पुत्री.................................... निवासी.................................यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है तथा विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं किया है।

(9) नियुक्ति के निरर्हता :–

1. कोई भी पुरुष या महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, जब तक कि सरकार इस बात से समाधान कर लेने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के किसी अभ्यर्थी पर लागू होने से छूट न दे दे।
2. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/ होगी यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

(10) विवाह पंजीयन

राज्य सरकार के परिपत्र सं.प.7(3) कार्मिक/क–2/2006 दिनांक 30.06.2006 के अनुसार अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में विवाहित होने की दशा में पति/पत्नि के नाम का उल्लेख करना होगा व आवेदन पत्र में विवाह पंजीयन की सूचना अनिवार्यतः अंकित की जावेगी। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होने तथा आवेदक के अविवाहित होने की स्थिति में आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप–6 में शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा, जो विधिवत सत्यापित हो।

प्रारूप–6

शपथ पत्र

(10 रू. के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से तस्दीक किया हुआ)

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती ....निवासी ....शपथ पूर्वक बयान करता हूँ /करती हूँ कि–

मेरा विवाह श्रीमती/श्री ....निवासी ....के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक ....को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री .... निवासी .... के साथ दिनांक .... को राजस्थान के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं...अविवाहित हूँ । विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करूंगा/करूंगी।

या

मैं...विधुर/तलाकशुदा/विधवा/ हूँ ।

(11) दोषसिद्ध न होने बाबत् :–

प्रत्येक आवेदक आवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लंबित नहीं है और यदि लंबित है तो उसका विवरण शपथ– पत्र में अंकित करेगा।

घोषणा – पत्र
मैं, श्री/सुश्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती.................................. निवासी शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि मेरे विरुद्ध भारत के किसी भी न्यायालय में कोई भी दाण्डिक प्रकरण लम्बित या संस्थित नहीं है एवं ना ही किसी न्यायालय द्वारा मुझे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है।

(12) आवेदन पत्र

आवेदन प्रकिया :– इस भर्ती हेतु अभ्यर्थी को कार्यालय की वेबसाईट **http://ecourts.gov.in/jhalawar** से आवेदन–पत्र डाउनलोड कर, समस्त वांछित सुसंगत सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रभारी अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, झालावाड़ के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, स्थायी पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता जन्मतिथि, राष्ट्रीयता तथा आरक्षित वर्ग का नाम उल्लेख हो। आवेदक कहीं सेवारत हो तो उसका आवेदन में उल्लेख करें। राजकीय सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से प्रार्थना–पत्र प्रेषित करें। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और उसकी पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जायेगी। अभ्यर्थी को आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करनी होंगी :–

1. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियां ।
2. जन्मतिथि के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
3. आरक्षण चाहने/आयु में छूट चाहने के इच्छुक अभ्यर्थी का जाति प्रमाण–पत्र।
4. दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो आवेदक के रिश्तेदार न हो अथवा आवेदक के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय से संबंद्ध नहीं हो। ये दोनों चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से 6 माह की अवधि के पहले के नहीं होने चाहिये।(दोनों प्रमाण पत्र मूल संलग्न करें)
5. शैक्षणिक संस्थान, जिसमें नियमित रूप से अंतिम शिक्षा ग्रहण की है, के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि ।
6. विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति। प्रमाण–पत्र नहीं होने पर शपथ पत्र (मूल)
7. संतान संबंधी घोषणा–पत्र सन्तान की जन्म तिथि अंकित करते हुए (मूल)
8. **आवेदन** पत्र पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित आवेदक का पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटो लगावें।
9. राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष की स्वीकृति संलग्न करे।
10. पांच–पांच रूपये के डाक–टिकट लगे हुए आवेदक का स्वंय का पता लिखे हुए 2 लिफाफे।
11. नियोजन कार्यालय के नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति।

यह विज्ञप्ति इस कार्यालय की वेबसाइट **http://ecourts.gov.in/jhalawar** पर भी देखी जा सकती है। किसी भी सहायता के लिए कार्य दिवसों में प्रातः 10.00 बजे से सायंः 05.00 बजे तक इस कार्यालय के दूरभाष संख्या 07432–232405 पर सम्पर्क करें।

प्रभारी अधिकारी,
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती
जिला एवं सेशन न्यायालय, झालावाड़

क्रमांक :– स्था. / 2014 /   दिनांक :

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज.उच्च न्यायालय पीठ जयपुर।
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ...
4. जिला कलक्टर, झालावाड़
5. पुलिस अधीक्षक झालावाड़
6. जिला नियोजन अधिकारी, रोजगार कार्यालय झालावाड़
7. जिला समाज कल्याण अधिकारी, झालावाड़
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी झालावाड़
9. नोटिस बोर्ड न्यायालय हाजा
10. समस्त अधीनस्थ न्यायालय .झालावाड़ न्यायक्षेत्र ....
11. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा
12. संबंधित पत्रावली

प्रभारी अधिकारी,
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती
जिला एवं सेशन न्यायालय, झालावाड़